


Prakash Industries Limited





Tele.: 98930 - 51093 Fax: 07752 - 258480/612

Email: md_bsp@prakash.com

CIN - L27109HR1980PLC010724

चेक लिस्ट क्रमांक- 34

वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भास्करपारा कोल ब्लाक पूर्व में मेसर्स भास्करपारा कोल कंपनी लिमिटेड को आबंटित किया गया था। पूर्ववर्ती आबंटित कंपनी को वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत् सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् कलेक्टर, सूरजपुर द्वारा दिनांक 24.02.2012 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट क्रमांक 34/1 में संलग्न है।

उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र के परिपेक्ष्य में संस्थान द्वारा अपने पत्र क्रमांक पी.आई.एल./ बिलासपुर/भास्करपारा/2021–22/229 दिनांक 08.12.2021 द्वारा वर्तमान में वन अधिकार पत्रों की स्थिति बावत् जिला कलेक्टर सूरजपुर को लेख किया है जो कि प्रचलन में है। इस संम्बन्ध में जिला कलेक्टर सूरजपुर द्वारा दी गयी जानकारी में यदि कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो संस्थान उसका पालन करने हेतु वचनबद्ध है।

यहा यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निहित आदेश (Vesting Order) क्रमांक NA-104/5/2021-NA दिनांक 18.11.2021 की कंडिका क्र. 1 के अनुसार इस कोयला ब्लॉक के संचालन से संबंधित पूर्व में जारी किये गये सभी प्रकार के अनुज्ञा पत्र, अनुमती, अनुमोदन एवं सहमती मान्य किये जायेगें।

कृते प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(ए.के.चतुर्वेदी)

निदेशक (कंपनी मामले)

Regd. Office Corporate Office 15 Km Stone, Delhi Road Hissar - 125 044 (Haryana) INDIA

: Srivan, Najafgarh-Bijwasan Road, Bijwasan, New Delhi-110061

Tel.: 25305800, 28062115, Fax: 91-11-28062119, E-mail: pilho@prakash.com, Website: www.prakash.com



Prakash Industries Limited



(MINING DIVISION)

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 A/9 Shatabdi Nagar, Behind Songanga Colony, Seepat Road, Bilaspur 495006 (C.G.)

Tele.: 98930 - 51093 Fax: 07752 - 258480/612

Email: md_bsp@prakash.com

CIN - L27109HR1980PLC010724

क्रमांकः पी.आई.एल./बिलासपुर/भास्करपारा/2023 क्राय

श्रीमान् कलेक्टर, सूरजपुर, जिला– सूरजपुर (छ.ग.) कायोलरा हर्माक: 08.12.2021 कायोलरा हर्माक: 16-12-2021

विषयः- भारत सरकार कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा E-Auction पद्धित से आबंटित भास्करपारा कोयला खनन परियोजना अंतर्गत वन अधिकार पत्र के वितरण की सूची एवं अनापित प्रमाण पत्र प्रदान करने बावत्।

महोदय,

संस्थान को भारत सरकार कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संस्थान को कोल माइन्स (स्पेशल प्राविजन्स) एक्ट-2015 के तहत् दिनांक 04.08.2021 को E-Auction पद्धति के माध्यम से भास्करपारा कोल माईन का आबंटन किया गया एवं भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No. NA-104/5/2021-NA दिनांक 18.11.2021 को निहित आदेश भी जारी कर दिया गया है।

आबंदित भास्करपारा कीखला खनन परियोजना में शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत् सभी आवश्यक औपचारिक कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् आपके कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 08/भू-अर्जन/2012 दिनांक 24.02.2012 द्वारा पूर्व में वन अधिकार पत्र वितरण की सूची एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। (प्रति संलग्न)

महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र के परिपेक्ष्य में वर्तमान में वन् अधिकार पत्र वितरण की स्थिति एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करे।

सादर.....

कृते प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

(ए.के.चुतुर्वेदी)

निदेशक (कम्पनी मामले)

FOR, PRAKASH INDUSTRIES LIMITED

(A. K. CHATURVEDI)
DIRECTOR (CORPORATE AFFAIRS)

संलग्न- उपरोक्तानुसार।



कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर (भू-अर्जन शाखा) स्रजपुर, दिनांक 34.2,2012 '८८ /म्-अर्जन/2012

पुसाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला सूरजपुर के ग्राम वड़सरा, खांडापारा, वरकरपारा, कुरीड़ीह, केवरा, दनौलीखुर्व, कुसगुसी के संरक्षित वन क्षेत्र सूरजपुर के कक्ष क्रमांक पी-1619, 1620 बुल एकवा 133.97 राजस्व वनक्षेत्र में ग्राग वडसरा कुल ख़सरा नंबर 34 कुल रक्या 14,500 खाडापारा कुल खसरा नंबर 39 कुल रकवा 116.59, वरकरपारा कुल खसरा नंतर 169 कुल रकवा 175.62. कुरींडीह कुल खरारा नंतर 28 कुल रकवा 10.34. केंद्ररा कुल खसरा नंबर 21 कुल रकवा 50.020, दनौलीखुर्द कुल खसरा नंबर 33 कुल रकवा 13.99, कुसमुसी कुल खसरा नंधर 01 कुल रकदा 0.050 है. कुल राजस्व वनभूमि 381.110 है. भूमि जो भारकरपारा कोल परियोजना के लिये प्रस्तावित हैं में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् वन अधिकार पत्र दिये जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हैं।

अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि भास्करपारा कोल परियोजना में प्रस्तावित कुल रकवा 515.080 हे. वनभूमि क्षेत्र पर उसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति, समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की

नान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नहीं हैं।

यह प्रमाणित न्विया जाता है कि वन भूमि का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासीयों का प्रस्ताव ग्रागसभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों को उन्हें स्थानीय भाषा में दी जा चुकी है। साथ ही जिले के अंतर्गत सम्पूर्ण आवेदित वनक्षेत्र 515.080 हे. में किसी का रहवास या राजस्य ग्राम की सीमा नहीं है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय ग्रामसभा में उपस्थित सदस्यों की न्युनतम संख्या 50% कोरम पूर्ण होने की स्थिति में ही ली गयी हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (७) के अनुसार अनुसूचित जनजाति समूहों और कृषि पूर्ण समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित रखा गया

31

यह प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रवंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन (5) भूभि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत यन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा घुकी हैं तथा प्रभावित ग्राम सभाओं की इसमें सहमति ली गई हैं। प्रभावित ग्रामों में पूर्व में दिये गये सभी वन अधिकार पत्र विरारण किया जा चुका हैं। यदि भविष्य में पुनः आवेदन प्राप्त होने की रिश्वति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जावेगी।

FOR PRAKASH INDUSTRIES LIMITED

File No.FC-11/118/2021-FC

Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan Jor Bagh Road, Aliganj New Delhi-110003

Dated: June 29th, 2022

To

Principal Chief Secretary/ Addl. Chief Secretary All the State Governments /UT Administrations.

Subject: Notification of the Forest (Conservation) Rules, 2022- reg.

Respected Madam/Sir,

I am directed to refer to the above mentioned subject and enclosed herewith a copy of the Notification of Forest (Conservation) Rules, 2022 published in the Gazette of India on 28.06.2022. In this regard it is to inform that these Rules shall be applicable from 28.06.2022 and all proposals for use of non-forestry purpose shall be dealt as per the procedure prescribed in. Therefore, you are requested to implement these Rules henceforth.

Yours Sincerely

Encl: As above.

Digitally Signed by Charan

Jeet Singh

Sd/-

Date: 29-06-2022 14:13:26

(Charan Jeet Singh)

Reason: Approved

Scientist-D

Copy to

- 1. PCCF (HoFF) all States/UTs
- 2. Nodal Officer (FCA), all States/UTs
- 3. Regional Officer, All IROs, MoEF&CC
- Sr. PPS to Secretary/Sr. PPS to DGF&SS/PPS to Addl. DGF(FC)/PPS to Addl. DGF(WL), MoEF&CC, New Delhi.
- 5. Director (Technical), NIC, MoEFCC, New Delhi with a request to upload a copy of rules on the website of the Ministry



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062022-236894 CG-DL-E-29062022-236894

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] No. 459] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2022/ आषाढ़ 7, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2022/ASHADHA 7, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2022

सा.का.नि. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वन (संरक्षण) नियम, 2003, को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, एततद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-
 - (क) "प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण" से अधिनियम की धारा 2 के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सक्रिय वनीकरण की एक प्रणाली अभिप्रेत है;
 - (ख) "अधिनियम" से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) अभिप्रेत है;
 - (ग) "परामर्शदात्री समिति" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परामर्शदात्री समिति अभिप्रेत है;
 - (घ) "अध्यक्ष" से परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

4320 GI/2022

- (iii) प्रयोक्ता एजेंसी सूचना की प्राप्ति के पश्चात, प्रतिपूरक उदग्रहण का भुगतान करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित भूमि को सौंप देगा, प्रतिपूरक उदग्रहण के भुगतान के संबंध में वचनबद्धता और प्रमाण-पत्र सहित दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियों के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट और प्रतिपूरक वनीकरण भूमि प्रभागीय वन अधिकारी को सौंप देगा;
- (iv) प्रभागीय वन अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने और पूर्णता से संतुष्ट होने के पश्चात, अनुपालन रिपोर्ट की अंतिम अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगा और इसे वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा;
- (v) वन संरक्षक, उपर्युक्त उप खंड (iv) में यथानिर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात, अनुपालन रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशें करेगा और उसे नोडल अधिकारी को अग्रेषित करेगा:
- (vi) नोडल अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात, इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने और राज्य सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के मामले में विभाग के प्रमुख का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, ऐसी रिपोर्ट को अपनी सिफारिशों के साथ राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को, यथा स्थिति, अग्रेषित करेगा।
- (ख) (i) केन्द्रीय सरकार, अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त कर लेने और इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने के पश्चात, इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगी और ऐसे निर्णय के बारे में राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेगी;
 - (ii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार का अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन अधिकारों के व्यवस्थापन को सुनिश्चित करने सहित यथा लागू, अन्य सभी अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की पूर्ति और अनुपालन करने के पश्चात, यथास्थिति अपयोजन, पट्टा निर्धारित करने या अनारक्षण करने के आदेश जारी करेंगे।
- (ग) (i) अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) के अधीन अनारक्षण का अंतिम आदेश, जहां भी दिया गया है, के परिणामस्वरूप वन भूमि के अनारक्षण की सूचना राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा स्थिति, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से दी जाएगी;
 - (ii) अनुमोदन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया इस प्रयोजन के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल में की जाएगी।
- (घ) (i) जहां सैद्धांतिक अनुमोदन में अधिरोपित की गई शर्त का अनुपालन राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, यथा स्थिति, से दो वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित है, उनमें सैद्धांतिक अनुमोदन को अकृत और शून्य समझा जाएगा;
 - परंतु, केन्द्रीय सरकार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसे प्रस्ताव जिनमें एक हजार हेक्टेयर से अधिक की वन भूमि अंतर्ग्रस्त है, जिनमें सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरणवार (अंतिम) निम्न शर्तों के अध्यधीन अनुमोदन प्रदान कर सकती है:
 - (1) लगाए गए प्रतिपूरक उदग्रहण का भुगतान और प्रतिपूरक बनीकरण करने के लिए चिन्हित और स्वीकृत भूमि की अधिसूचना अनुपालन के लिए प्रस्तुत किए गए क्षेत्र के भाग के अनुपात में; और
 - (2) अन्य कोई विशिष्ट शर्त जिसे अनुपालन के लिए केन्द्रीय सरकार उचित समझे के संबंध में अनुपालन के अध्यधीन हो।

- (F) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, undertakes to provide at its cost or at the cost of the user agency the requisite extent of appropriate land as per sub-rule (1) of rule 11 and afforestation thereof, for the purpose of carrying out Compensatory Afforestation;
- (iii) while making recommendations as per sub-clause (ii), the Committee may also impose conditions or restrictions and such mitigation measures, which in its opinion would offset the adverse environmental impact;
- (iv) the Central Government shall, after considering the recommendation of the Advisory Committee, grant 'In-Principle' approval subject to fulfilment of stipulated conditions or reject and communicate the same to the concerned State Government or the Union territory Administration, as the case may be, and to the user agency;
- (f) (i) in case the proposal is found incomplete or information provided is found to be incorrect after its examination, the Central Government shall inform the State Government or Union territory Administration and user agency for furnishing the required information within a specified period;
 - (ii) the State Government or Union territory Administration on receipt of communication under sub-clause
 (i), may furnish the complete information, after which the proposal shall be considered for 'In-Principle' approval under these rules:

Provided, if the information sought pertains to the user agency, the user agency may directly furnish the requisite information to the Central Government with a copy to the State Government or Union territory Administration, and upon receipt of such information from the user agency, the Central Government, if it considers necessary, may seek comments of the concerned State Government or Union territory Administration, as the case may be, on the information furnished by the user agency or consider granting 'In-Principle' approval.

- (6) 'Final' approval of the proposal:-
 - (a) (i) the Nodal Officer may, after receipt of the 'In-Principle' approval from the Central Government, communicate the same to the concerned Divisional Forest Officers, District Collectors and Conservator of Forests;
 - (ii) on receipt of a copy of the 'In-Principle' approval, the Divisional Forest Officer shall prepare a demand note containing the item-wise amount of Compensatory Levies, as applicable, to be paid by the user agency and communicate the same to the user agency, along with a list of documents, certificates and undertakings required to be submitted by them in compliance with the conditions stipulated in 'In-Principle' approval;
 - (iii) the user agency shall, after receipt of the communication, make payment of Compensatory Levies and hand over the land identified for Compensatory Afforestation, a compliance report along with copies of documentary evidence including undertaking and certificate in respect of the payment of Compensatory Levies and handing over of Compensatory Afforestation land to the Divisional Forest Officer;
 - the Divisional Forest Officer, after having received the compliance report and satisfied with the completeness, shall recommend the compliance report for final approval and forward it to the Conservator of Forests;
 - (v) the Conservator of Forests, after having received the compliance report as referred to in subclause (iv) above, shall make his recommendations on the compliance report and forward the same to the Nodal Officer;
 - (vi) the Nodal Officer, after having received the compliance report, ensuring its completeness and obtaining approval of the Principal Chief Conservator of Forests of the State Government or head of the Department in case of Union territory Administration, shall forward such report with his recommendations to the State Government or Union territory Administration, as the case may be.
 - (b) (i) the Central Government after having received the compliance report and ensuring its completeness may accord 'Final' approval under section 2 of the Act and communicate such decision to the State Government or Union territory Administration and the user agency;
 - (ii) The State Government or Union territory Administration, as the case may be, after receiving the 'Final' approval of the Central Government under Section 2 of the Act, and after fulfilment and compliance of the provisions of all other Acts and rules made thereunder, as applicable including ensuring settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007), shall issue order for diversion, assignment of lease or dereservation, as the case may be.